



नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

(पुराना पुलिस मुख्यालय, हवामहल के पास)

क्रमांक :- एफ 13 () उपा.आयो.प्रथम/ननिज./2023/451

दिनांक:- 08/08/2023

मैसर्स मैंगो पीपल होम्स एल.एल.पी.
भू.सं. 04, सरदार पटेल मार्ग (चौमू हाउस)
जयपुर।

विषय:- भूखण्ड सं. 04, सरदार पटेल मार्ग (चौमू हाउस), जयपुर संशोधित बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

आप द्वारा प्रस्तुत मानचित्र क्षेत्रफल (4564.89 व.मी.) के क्रम में एम्पावर्ड समिति के निर्णय दिनांक 05.07.2023 की अनुपालना में एजेण्डा में वर्णित पैरामीटर्स के अनुसार 3बी+जी+16 तल कुल ऊंचाई 59.98 मी. के संशोधित भवन निर्माण मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते हैं :-

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2020 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से 25.04.2024 तक के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :-

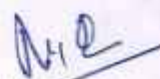
(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	प्रस्तुत मानचित्रानुसार
अग्र प्रथम	15 मी.
अग्र द्वितीय	15 मी.
साईड प्रथम	15 मी.
साईड द्वितीय	15 मी.
ऊंचाई	1 मी. प्लान्थ+जी+16 तल ऊंचाई 59.98 मी.
मंजिल	3बी+जी+प्रथम से 16 तल
बेसमेन्ट	प्रस्तावित है
आच्छादन	सैट बैक क्षेत्र के अंदर
बी.ए.आर.	5.266

4. नगर निगम हैरिटेज जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर जो निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के संशोधन दिनांक 07.01.2021 के अनुसार मानचित्रों में स्वीकृत से भिन्न ऐसी उपयोग में कोई गतिविधियां नहीं करेंगे जो आस-पास के निवासीयों के लिए हानिकारक हो।
7. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
8. प्रस्तावित स्वीकृति में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम हैरिटेज जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
9. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
10. अनुमोदनानुसार वर्षा जल संग्रहण यूनिट मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाई जावेगी।
11. अनुमोदनानुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर वास्तव में आप द्वारा लगाया जावेगा।
12. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत जिन विषयों पर ब्यौरा यहाँ नहीं दिया गया है, उन बाबत मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगे।
13. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
14. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
15. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है आप द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाने पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा जिस व्यक्ति ने पार्किंग के अलावा उपयोग किया है से वसूला जा सकता है। उपरोक्त शर्तों का

me

उल्लंघन करने पर नगर निगम जयपुर हैरिटेज हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है एवं आप देने के लिए बाध्य रहेंगे।

16. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
 17. बेसमेन्ट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग में नहीं करेगा।
 18. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape plan) निर्माण स्थल पर चस्पा कर प्रदर्शित करेंगे साथ ही मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूपसे किया जा सके।
 19. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
 20. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/ 05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
 21. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावे।
 22. Rera Act. एवं Rules, Apartment Ownership Act एवं Rules के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
 23. भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान सं. 10.3.2 (ix,x) (30 मीटर से अधिक के भवनो हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन व भवन में अपेक्षित सेवाओं के मानचित्र की प्रति 90 दिवस में प्रस्तुत करने के संबंध में) (xi) (अग्निशमन मानदण्डों की सुनिश्चितता), 10.11 (पर्यावरण संरक्षता हेतु नियम), विनियम 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर उर्जा संयंत्र), 10.12.1 (भवन निर्माण हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधान), विनियम सं. 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), विनियम सं. 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण), 16.3 (सीवरजे ट्रीटमेंट प्लांट), एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11 (9)नवि/3/2020/पार्ट-1 दिनांक 07.09.2021 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाइक्लिंग हेतु प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
- संलग्न:- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 10 मानचित्र)

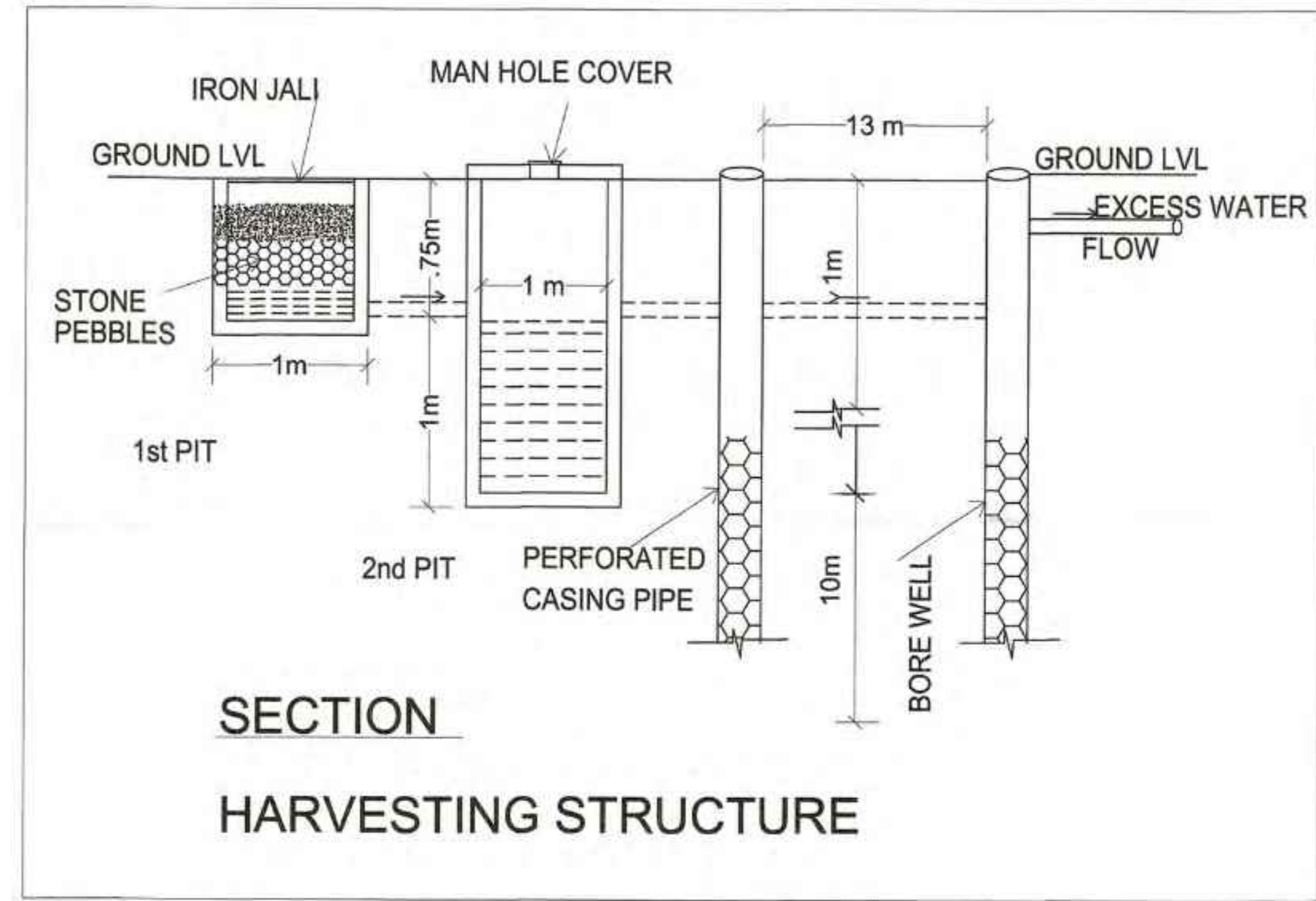

(सुरेन्द्र सिंह यादव)
उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ-

1. उपायुक्त, सिविल लाईन जोन नगर निगम जयपुर, हैरिटेज को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
संलग्न :- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 10 मानचित्र)

उपायुक्त (आयोजना प्रथम)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

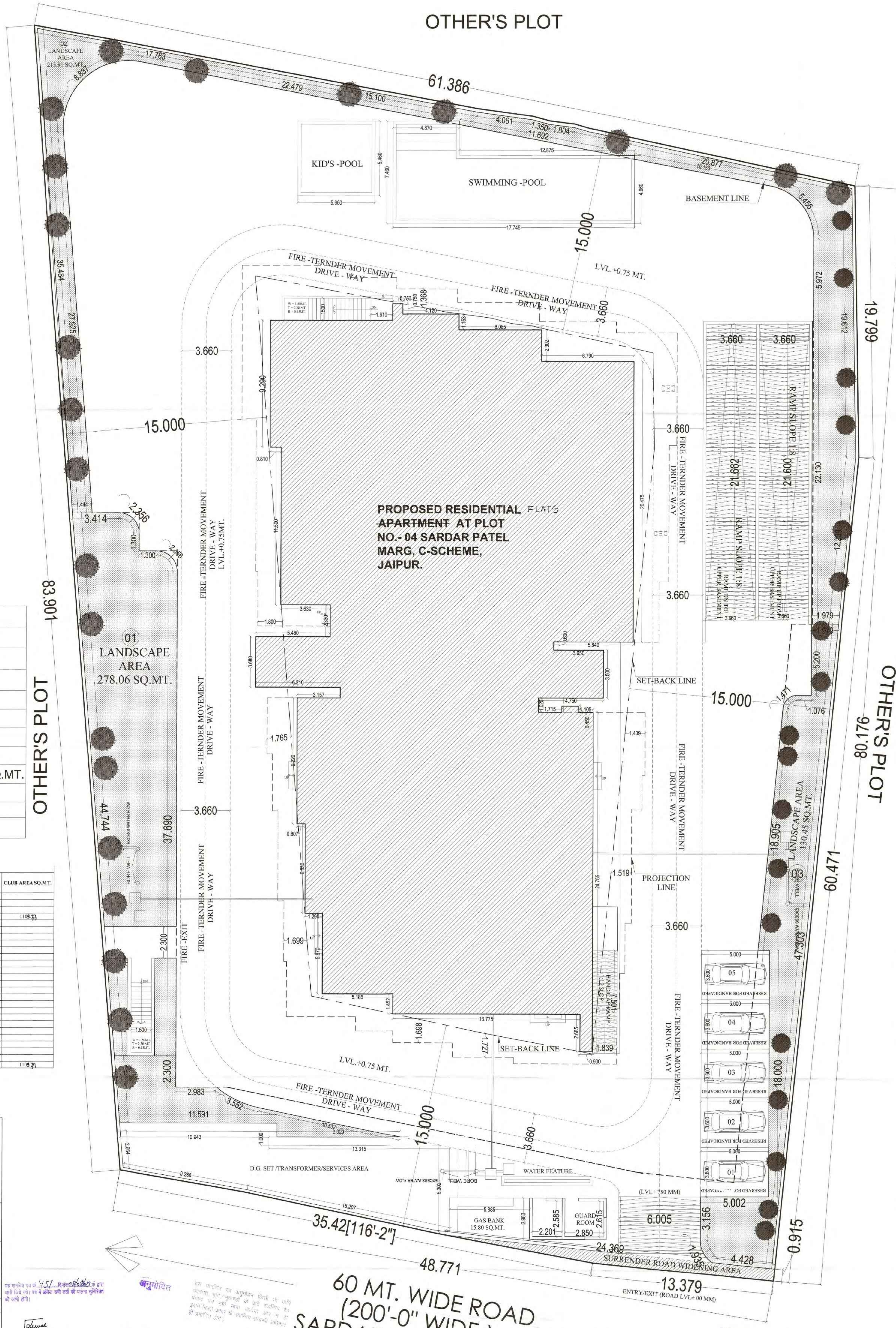
OTHER'S PLOT



PLOT AREA = 4581.97 SQ.MT.
SURRENDERED AREA FOR WIDENING = 17.08 SQ.MT.
REMAINING PLOT AREA = 4581.97 - 17.08 = 4564.89 SQ.MT.
PERMISSIBLE B.A.R = 4564.89 X 2 + 17.08 = 9146.86 SQ.MT.
B.A.R ACHIEVED AREA = 24034.90 SQ.MT. (5.26)
PERMISSIBLE COVERAGE = 4581.97 X 0.40 = 1832.78 SQ.MT.
GROUND COVERAGE ACHIEVED = 1316.41 SQ.MT. (28.83%)
ACHIEVED CLUB HOUSE = 1109.39 SQ.MT. (4.61%)
PERMISSIBLE LANDSCAPE AREA = 4581.97 X 0.10 = 458.19 SQ.MT.
ACHIEVED LANDSCAPE AREA = 622.42 SQ.MT. (13.63 %)
NO. OF FLOOR = 3 BASEMENT + GROUND + 16TH FLOOR
TOTAL HEIGHT OF THE BUILDING = 59.98 MT.

AREA CALCULATION TABLE FOR FLATS										
Sr. No.	FLOORS	BLOCK AREA SQ.MT.	CUTOUT SQ.MT.	GROSS STAIRCASE SQ.MT.	FIRE ESCAPE STAIRCASE SQ.MT.	CHAJJA PROJECTIONS SQ.MT.	NET BUILT UP SQ.MT.	SERVICES SQ.MT.	LIFT WELL SQ.MT.	B.A.R. SQ.MT.
1	LOWER BASEMENT	3570.20	19.26	5.08	0.00	0.00	3523.47	5.34	20.00	PARKING
2	MIDDLE BASEMENT	3570.20	19.26	5.08	0.00	0.00	3523.47	108.02	20.00	PARKING
3	UPPER BASEMENT	3570.20	19.26	5.08	0.00	0.00	3523.47	295.98	20.00	PARKING
4	GROUND	1584.62	9.48	1.86	22.85	415.76	1136.53	12.83	20.00	1108.31
5	FIRST FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
6	SECOND FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
7	THIRD FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
8	FOURTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
9	FIFTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
10	SIXTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
11	SEVENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
12	EIGHTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
13	NINTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
14	TENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
15	ELEVENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
16	TWELFTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
17	THIRTEENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
18	FOURTEENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
19	FIFTEENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
20	SIXTEENTH FLOOR	1584.62	41.72	1542.90	22.85	58.25	1461.80	8.60	20.00	1433.20
21	TERRACE FLOOR	287.48	0.00	287.48	0.00	0.00	287.48	0.00	0.00	0.00
22	GUARD ROOM	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
23	D.G. SET	107.67	0.00	107.67	0.00	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
24	GAS BANK	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
25	SWIMMING POOL	131.03	0.00	131.03	0.00	0.00	131.03	0.00	0.00	0.00
TOTAL		38181.82	734.78	57699.15	388.45	1329.94	35663.24	561.03	400.00	24034.90

PARKING CALCULATIONS:-	
NO. OF E.C.U. REQUIRED @ 1 E.C.U. PER	
RESIDENTIAL PARKING	BAR ACHIEVED = 24049.90 / 115 = 209.06 E.C.U.
+ 10 % EXTRA VISITOR PARKING = 209.06 X 0.10 = 20.91 E.C.U.	
TOTAL PARKING REQUIRED = 208.99 + 20.89 = 229.82 E.C.U.	
75 % CAR PARKING REQUIRED = 229.82 X 0.75 = 172.44 ECU OR SAY 173 CARS	
25 % SCOOTER PARKING REQUIRED = 229.82 X 0.25 = 57.48 E.C.U. (SAY 173 SCOOTER)	
PARKING AVAILABLE =	
CAR PARK IN OPEN AREA = 05 NOS.	
CAR PARK IN UPPER BASEMENT FLOOR = 65 NOS.	
CAR PARK IN MIDDLE BASEMENT FLOOR = 72 NOS.	
CAR PARK IN LOWER BASEMENT FLOOR = 82 NOS.	
TOTAL	= 224.00 NOS
SCOTTER PARK IN OPEN AREA = 24 NOS.	
SCOTTER PARK IN MIDDLE BASEMENT FLOOR = 51 NOS.	
SCOTTER IN UPPER BASEMENT FLOOR = 42 NOS.	
SCOTTER IN LOWER BASEMENT FLOOR = 42 NOS.	
TOTAL	= 159.00 NOS = 53.00 E.C.U.
TOTAL PARKING PROVIDED = 224 + 53.00 = 277.00 E.C.U.	



SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT PLOT
NO - 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
SITE-PLAN & CALCULATION TABLE



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:150 NORTH POINT

For Mingo People Homes LLP
Authorized Signatory

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97722630

OWNER ARCHITECT

SITE -PLAN & CALCULATION TABLE

SHEET NO.02

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN



SITE ADDRESS:-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT PLOT NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME, JAIPUR.

TITLE :-

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100

NORTH POINT



Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken by B.P.C. in the meeting
Dt. 5/6/2023

For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

Gyanendra Singh Shekhawat
Architect
CA/3722030

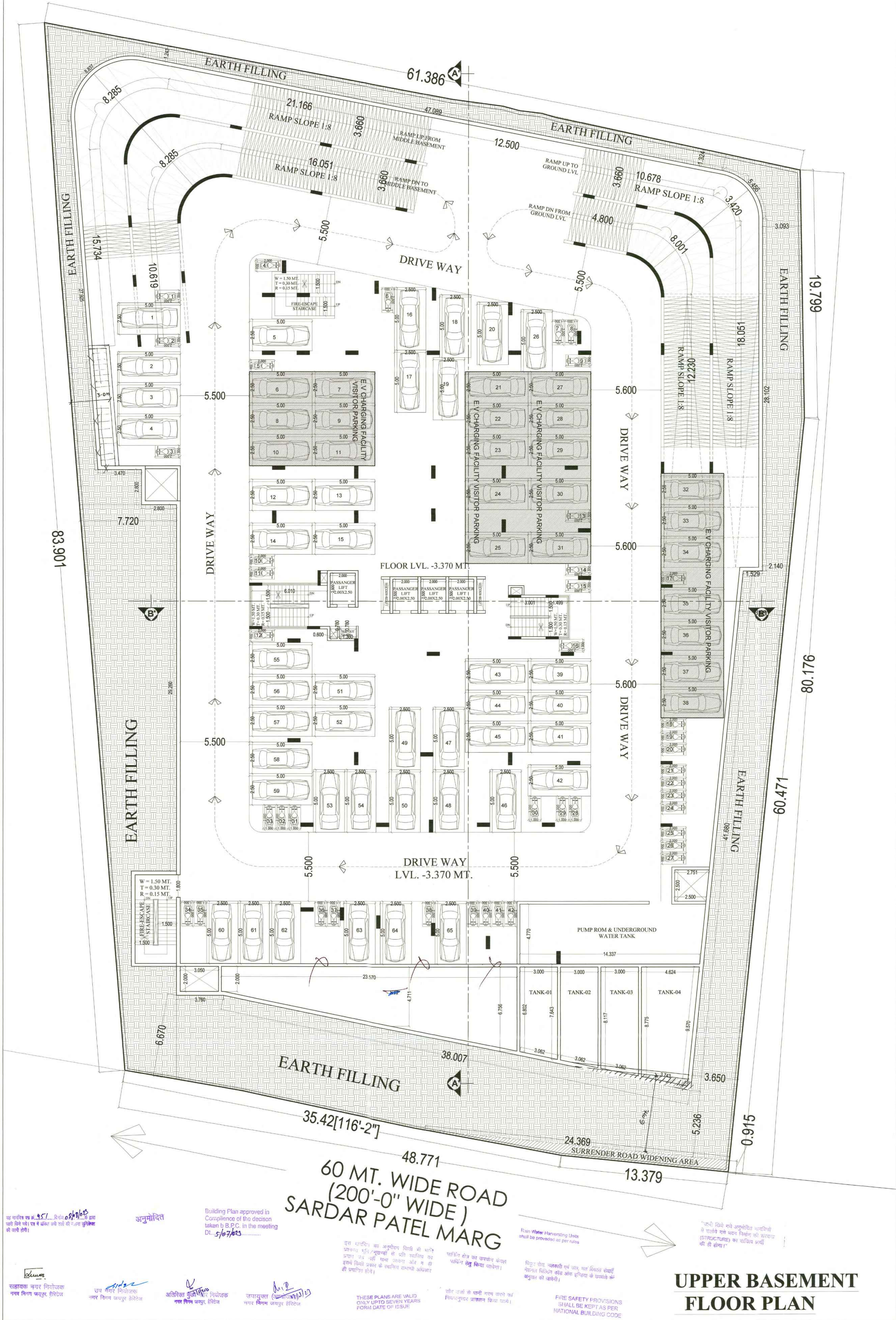
OWNER

ARCHITECT

LOWER BASEMENT FLOOR PLAN



MIDDLE BASEMENT FLOOR PLAN



SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
UPPER BASEMENT
FLOOR PLAN



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100

NORTH POINT



UPPER BASEMENT
FLOOR PLAN

OWNER

ARCHITECT

For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

Gyanendra Singh Shekhar
Architect
SAP97222030

यह नक्शा स.सं. 35/1-2 दिनांक 08/06/2023 को
जाति दिनेश चौरासे तैयार किया गया है।
यह नक्शा नगर निगम, जयपुर, द्वारा
अनुमोदित है।

अनुमोदित

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken by B.P.C. in the meeting
Dt. 5/07/2023

यह नक्शा नगर निगम, जयपुर, द्वारा
अनुमोदित है।
यह नक्शा नगर निगम, जयपुर, द्वारा
अनुमोदित है।

Plan Water Harvesting Unit
shall be provided as per rules

"यदि किसी भी अनुमोदित नक्शे
के पत्रों में नगर निगम, जयपुर, की संस्था
(STRUCTURE) का कोई भी
कोई भी होगा।"

फ़ायर सेफ्टी प्रोविज़न्स
शाली बी केपीएस पर
नैशनल बिल्डिंग कोड
अनुसार होना चाहिए।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

सहायक नगर निगम
नगर निगम, जयपुर, द्वारा

नगर निगम, जयपुर, द्वारा

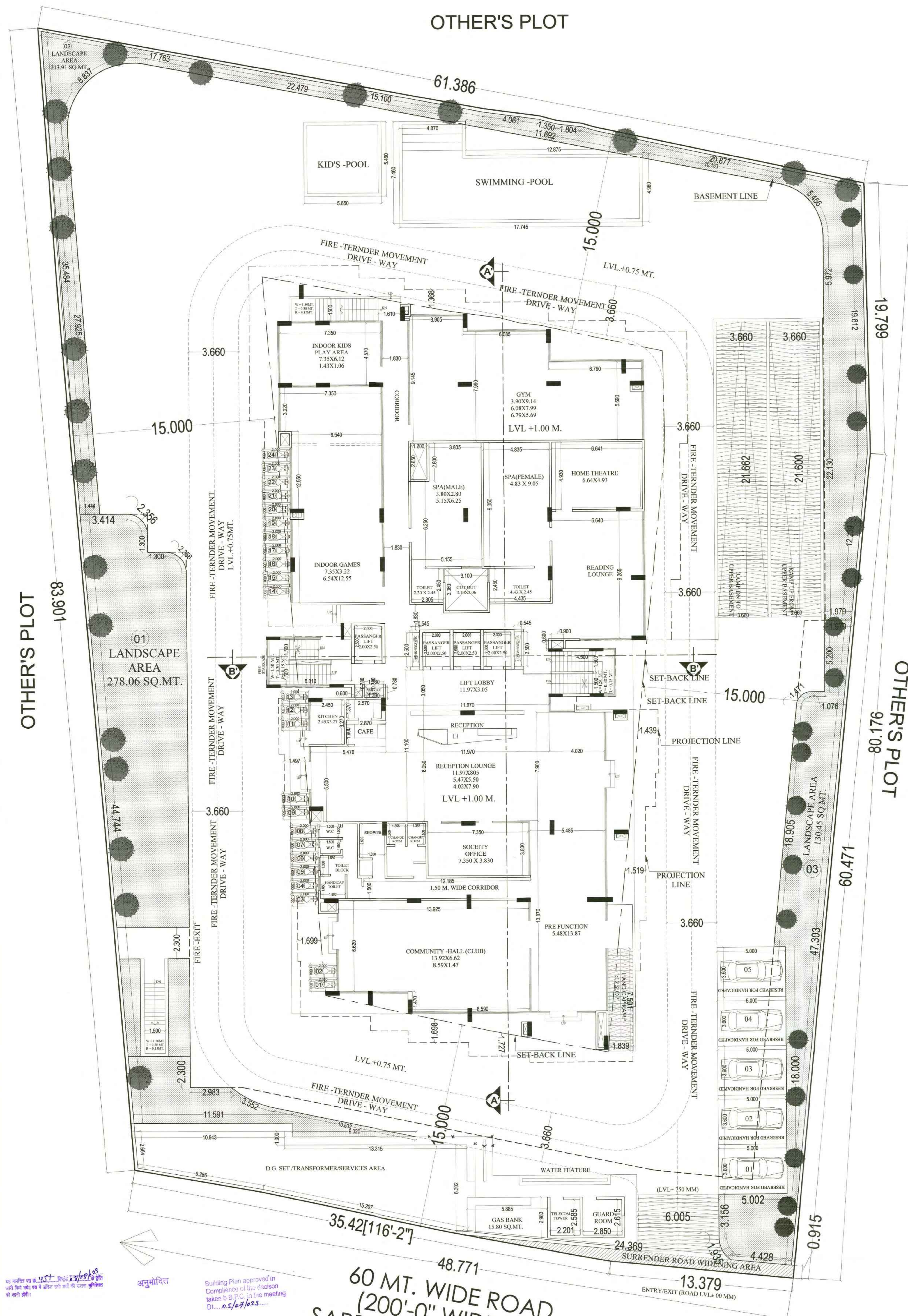
अतिरिक्त नगर निगम, जयपुर, द्वारा

नगर निगम, जयपुर, द्वारा

OTHER'S PLOT

OTHER'S PLOT

OTHER'S PLOT



SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
GROUND FLOOR PLAN



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100

NORTH POINT

For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

qual
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/19/22030

OWNER

ARCHITECT

GROUND FLOOR PLAN

यह प्लान का 5.51 दिनांक 8/09/23 को
प्राप्त किया गया है। यह प्लान को प्लानिंग
की जायेगी।

अनुमोदित

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken by B.P.C. in the meeting
Dt.....05/07/23.....

यह प्लानिंग पर अनुमोदित किया गया है।
प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
इसमें किसी प्रकार के बदलाव या परिवर्तन
की अनुमति नहीं है।

यह प्लान को प्लानिंग विभाग को
समस्तानुसार प्रमाणित किया गया है।

विशेष नोट: भूतकालीन एवं पुराने
संरचनाओं को भी इस प्लानिंग के
अनुसार ही बनाना है।

"जहाँ किसी तरह अनुमोदित या अनधिकृत
से बदलाव या परिवर्तन किया गया है
(STRUCTURE) का प्लानिंग प्रती
की ही होगी।"

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

Rain Water Harvesting Units
shall be provided as per...

FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

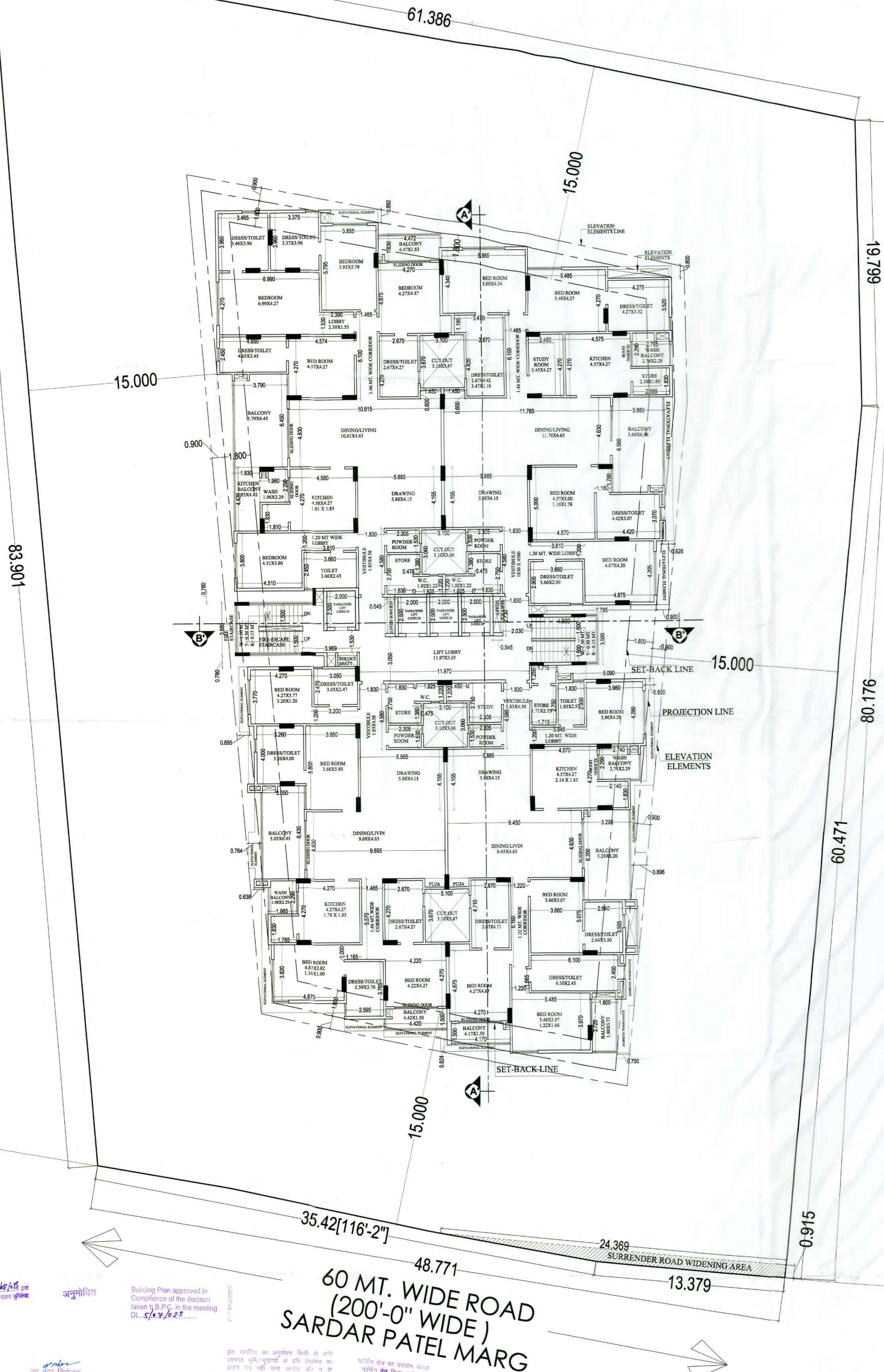
सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम जयपुर, जयपुर

रूप नगर निरीक्षक
नगर निगम जयपुर, जयपुर

अतिरिक्त मुहर नगर निरीक्षक
नगर निगम जयपुर, जयपुर

उपसमूक्त (आयोजन)
नगर निगम जयपुर, जयपुर

SHEET NO.06
TYPICAL FLOOR PLAN
(1st TO 15th FLOOR)



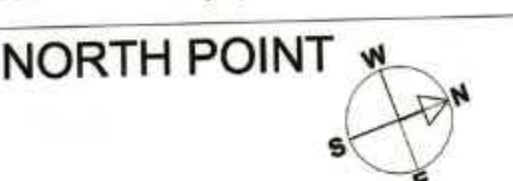
SITE ADDRESS:- FLATS
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
TYPICAL FLOOR PLAN
(1st TO 15th FLOOR)



124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100



For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/19722030

OWNER

ARCHITECT

TYPICAL FLOOR PLAN
(1st TO 15th FLOOR)

यह मानचित्र का क्र. 457 दिनांक 8/05/08 का
कोई विरोध नहीं है और यह को पता न्यायालय
की जमानत है।

अनुमोदित

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken by B.P.C. in the meeting
Dt. 5/8/3/02

राजस्थान नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हिस्टोरिक

राज नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हिस्टोरिक

राजस्थान नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हिस्टोरिक

राजस्थान नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हिस्टोरिक

इस मानचित्र का उपयोग किसी भी
प्रकार के भू-सूचना के लिए नहीं किया जा
सकता है और यह नगर निगम जयपुर की
इसकी किसी भी प्रकार के दायित्व को
नहीं स्वीकार करता है।

मानचित्र क्षेत्र का उपयोग केवल
प्राथमिक रूप से किया जायेगा।

From Water Harvesting Units
shall be provided as per rule

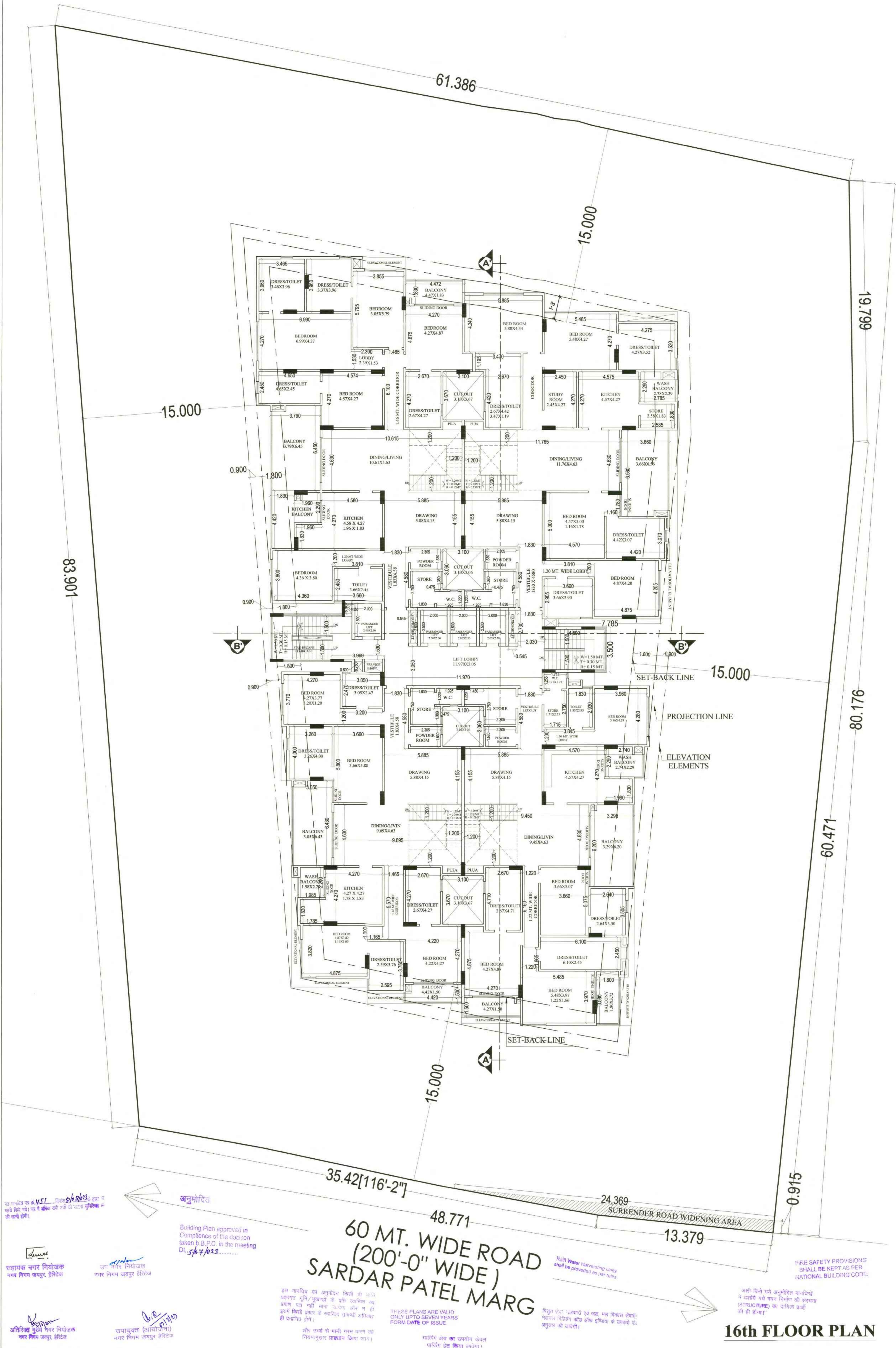
FIRE SAFETY PROVISIONS
SHALL BE KEPT AS PER
NATIONAL BUILDING CODE

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UP TO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE

यदि जहाँ से पानी गिरने के
निर्माण के प्रमाणित किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निष्कासक
सेवाएँ निर्माण के लिए और इन्हें के उपयोग के
अनुसार की जायेगी।

"जहाँ भी कोई अन्य मानचित्र
के द्वारा कोई भवन निर्माण को संरक्षित
(STRUCTURE) का दायित्व नहीं
की है होगा"



SITE ADDRESS:- FLATS
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
16th FLOOR PLAN



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:100

NORTH POINT



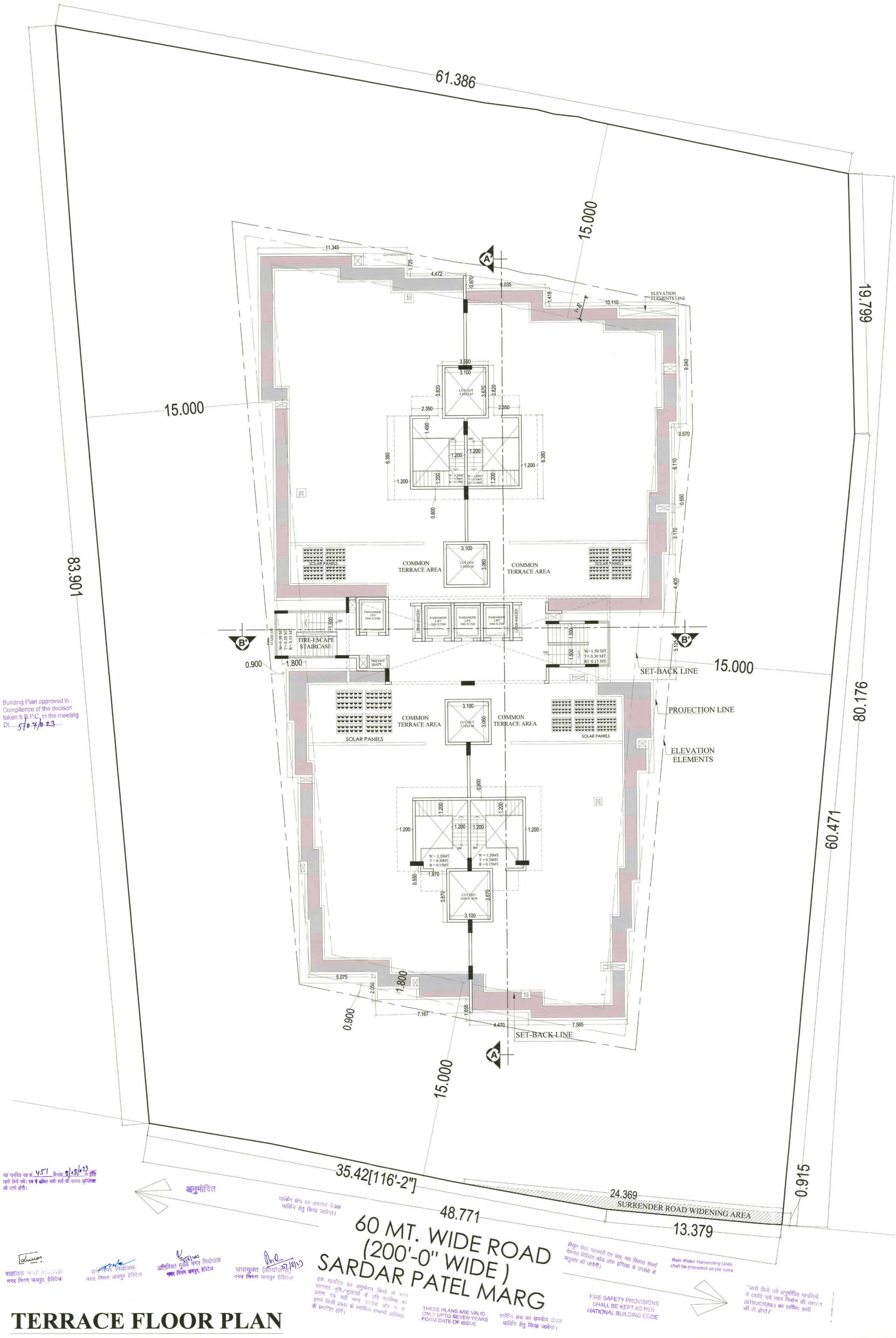
For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

GYANENDRA SINGH BHEKHAWAT
Architect
CA/197/2030

OWNER

ARCHITECT

16th FLOOR PLAN



SITE ADDRESS:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :-
TERRACE FLOOR PLAN



124, HIMMAT NAGAR , TONK ROAD, JAIPUR
PHONE - 0141-2706227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE - 1:100

NORTH POINT



For Mango People Homes LLP
Authorized Signatory

GYANENDRA SAGI SHEKHAWAT
Architect
CA/17/22030

OWNER

ARCHITECT

TERRACE FLOOR PLAN

SECTIONS

यह मानचित्र पत्र नं. 457 दिनांक 08/08/23 द्वारा जारी किया गया है। पत्र में अंकित सभी तथ्यों की प्रामाण्यता सुनिश्चित की जा रही है।

अनुमोदित

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उप नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

अतिरिक्त नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

उपायुक्त (सांयोजना)
नगर निगम जयपुर, हैरिटेज

SITE ADDRESS:- FLATS
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :- SECTIONS



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE :- 0141-2708227, 2712377
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:200

NORTH POINT

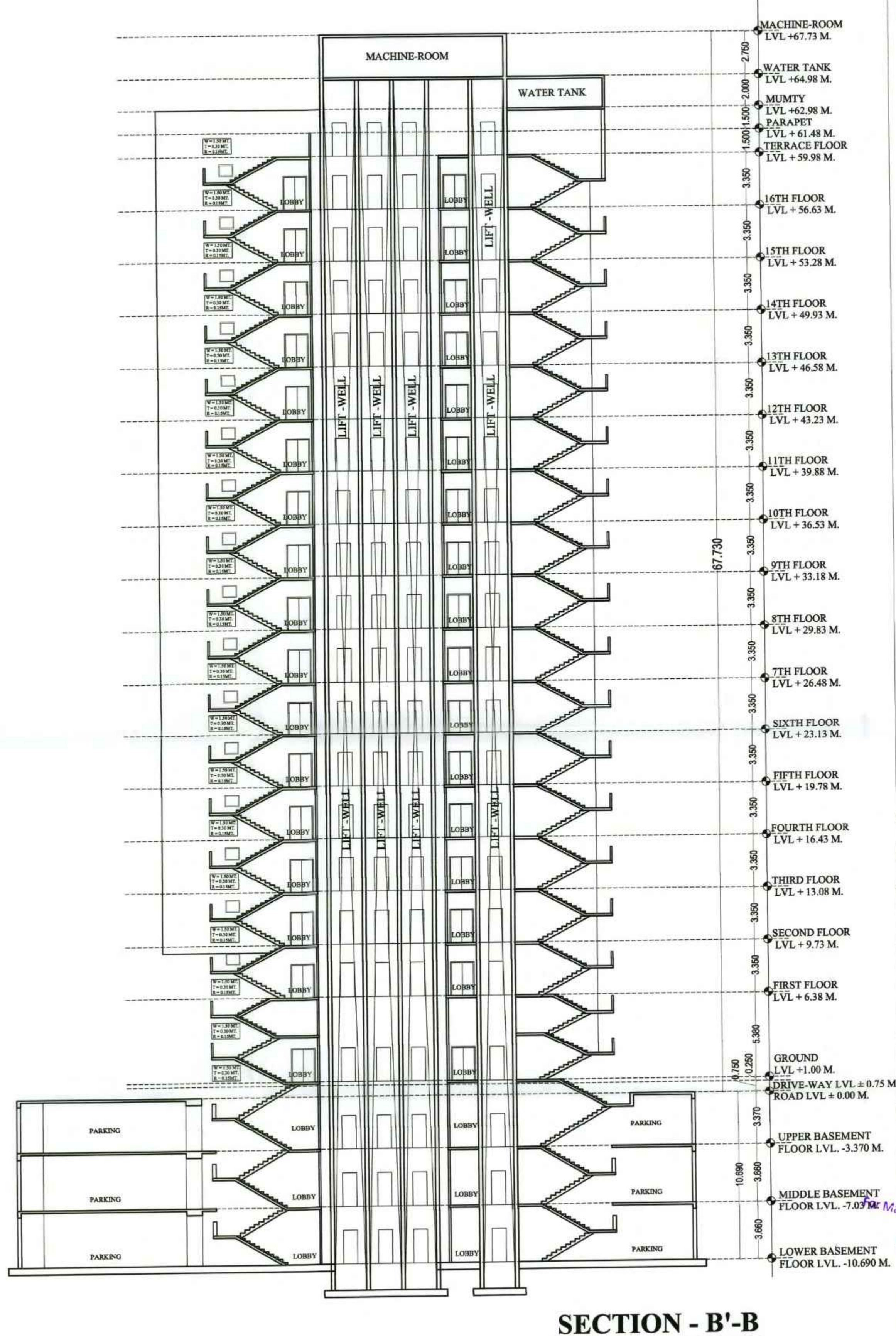
Mango People Thomas LLP
Authorized Signatory

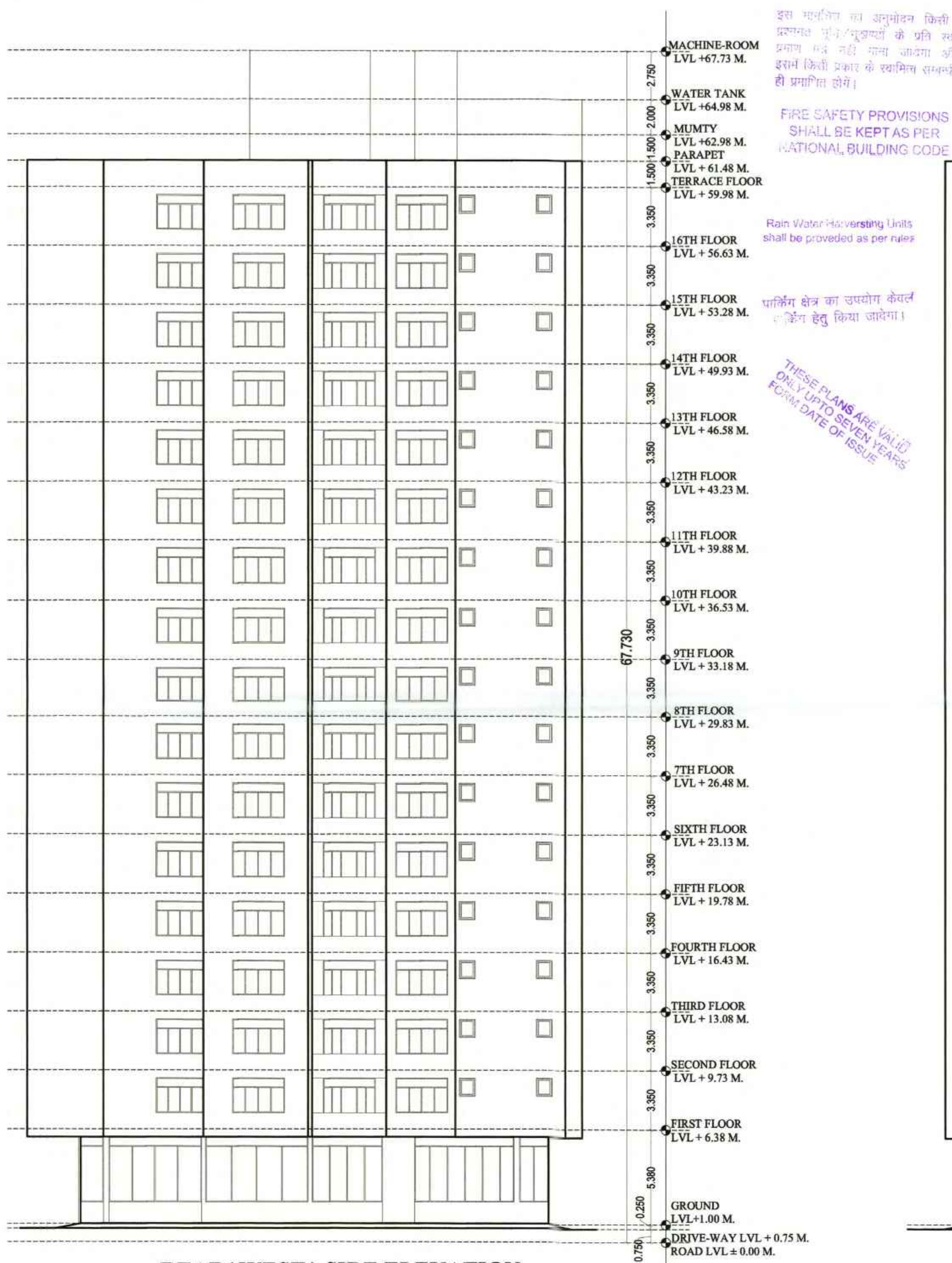
Gyanendra Singh Shekhar
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken b.B.P.C. in the meeting
Dt. 5/07/23

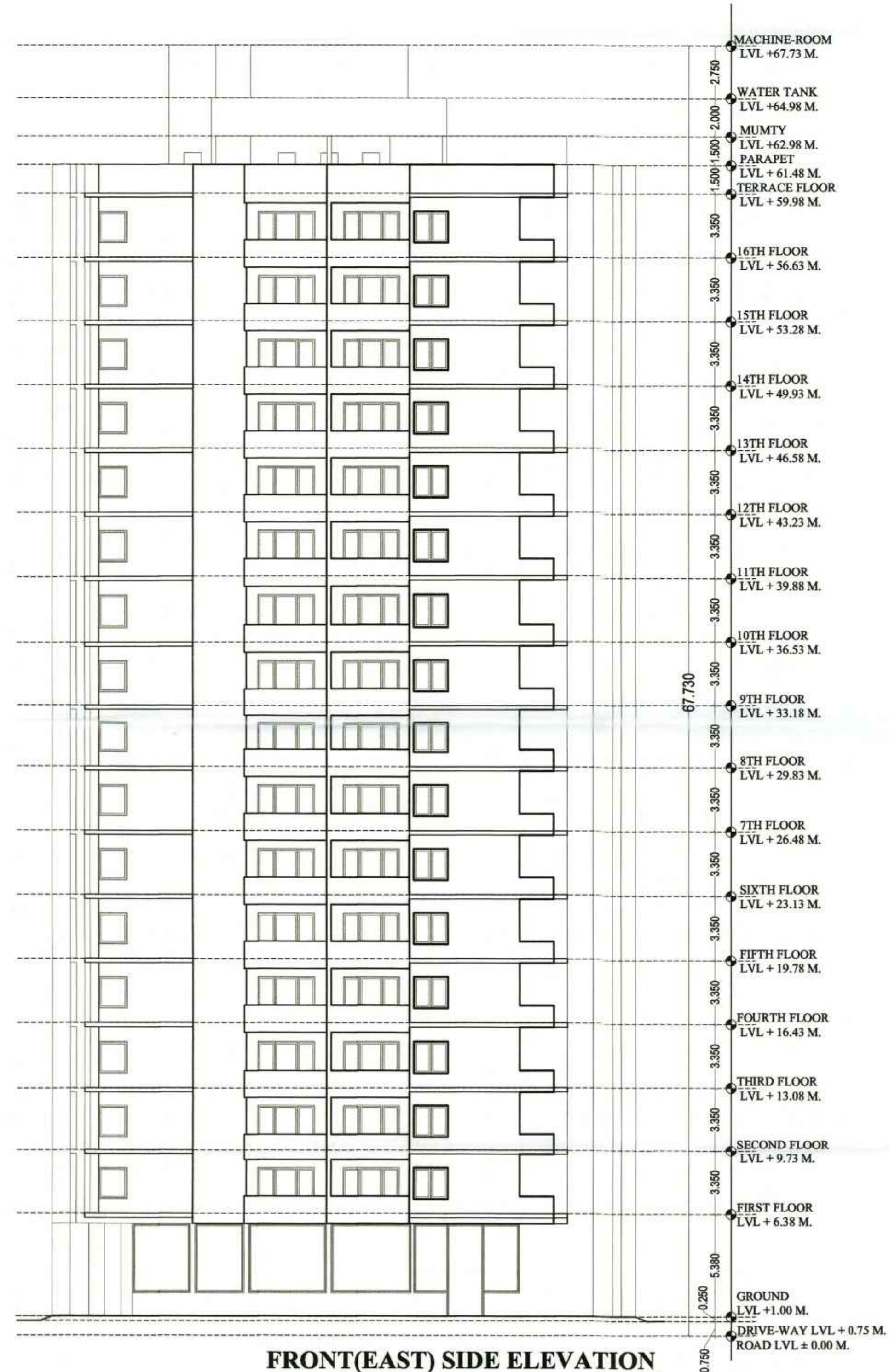




REAR(WEST) SIDE ELEVATION



LEFT(SOUTH) SIDE ELEVATION



FRONT(EAST) SIDE ELEVATION



RIGHT(NORTH) SIDE ELEVATION

SHEET NO.10

ELEVATIONS

यह प्लान पत्र न. 45/1 दिनांक 08/03/2023 के द्वारा जारी किया गया है। यह पत्र केवल इसी प्लान के लिए ही वैध है।

अनुमोदित

सहायक नगर निगमक
नगर निगम जयपुर, हिंदी

उप नगर निगमक
नगर निगम जयपुर, हिंदी

अतिरिक्त नगर निगमक
नगर निगम जयपुर, हिंदी

उपायुक्त (आरोपण)
नगर निगम जयपुर, हिंदी

Building Plan approved in
Compliance of the decision
taken b B.P.C. in the meeting
Dt. 05/07/2023

SITE ADDRESS:- FLATS
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT
NO.- 04 SARDAR PATEL MARG, C-SCHEME,
JAIPUR.

TITLE :- ELEVATIONS



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR
PHONE :- 0141-2706222, 2712277
email: ideasjaipur@gmail.com, web: www.ideasjaipur.com

SCALE -1:200

NORTH POINT

For Mango People Home LLP
Authorized Signatory

BYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/19/22030

OWNER ARCHITECT